



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-27082024-256673
CG-UP-E-27082024-256673

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3296]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2024/भाद्र 5, 1946

No. 3296]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2024/BHADRA 5, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 26. अगस्त, 2024

शुद्धि-पत्र

का.आ. 3613(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार, रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे, निर्माण विभाग) की उल्लिखित अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

अधिसूचना संख्या का.आ. 3511 (अ) प्रयागराज, अगस्त 07, 2024, दिनांक: मंगलवार, अगस्त 20, 2024 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अर्थात्: अधिसूचना में क्रं सं-1 पर अंकित ग्राम घोड़ेडीह में तालुका का नाम- करछना तहसील, सर्वेक्षण/प्लॉट सं. 469, क्षेत्रफल 0.0430 (हे.) में के स्थान पर निम्नलिखित विवरण प्रतिस्ताफित किया जायेगा

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना पं. दीनदयाल उपाध्याय – प्रयागराज के मध्य तीसरी लाइन निर्माण परियोजना के लिए जिला प्रयागराज के तहसील करछना में आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण/ प्लॉट सं.	क्षेत्रफल (हे.) में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	करछना	घोड़ेडीह	496	0.0430
			योग	0.0430

फुट नोट: मूल अधिसूचना का.आ. 3511 (अ) भारत का राजपत्र , असाधारण , भाग-II , खंड -3, उपखण्ड (ii) दिनांक 20.08.2024 में प्रकाशित।

[इ.फा. सं. एन.सीआर.-एच. क्यू.शून्य.सी. ई.एन.जी.(पी. एच 15)/5/2021-ओ/ओ डिप्टी. सी.ई./सी.इला. (कंप्यूटर सं. 51223), दिनांक: 24.11.2021]

विपिन कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/(निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 26th August, 2024

CORRIGENDUM

S.O. 3613(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government hereby makes the following amendment in notifications of the Government of India, Ministry of Railways (North Central Railway, Construction department)

Notification No. SO 3511 (E) Prayagraj, **August 7th, 2024**, dated: **Tuesday, August 20th, 2024** Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) The following details will be substituted in place of **Name of Tehsil-Prayagraj, Name of village- Ghoredeeh, Survey Plot No. 469, Acquired Area 0.0430 (in Hec.)** mentioned at village **Ghoredeeh** at S.N. 1 in the notification.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, namely, Pt. Deen Dayal Upadhaya to Prayagraj Jn. 3rd Railway line Project Under Tehsil Karchana in District Prayagraj in the state of Uttar Pradesh.

Sl.No.	Name of Tehsil	Name of village	Survey Plot No.	Acquired Area (in Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Karchana	Ghoredeeh	496	0.0430
			Total	0.0430

Foot Note:Original Notification No. S.O. 3511 (A) Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on date 20.08.2024.

(e-file No.NCR-HQ0CENG(PH 15)/5/2021- O/O Dy CE/C/ALD (Computer No.51223) Dated: 24.11.2021)

VIPIN KUMAR, Chief Administrative Officer/(Construction)